COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक -----/ 2006 अपील

अपील 1124/II/06

1. सूरज प्रकाश पुत्र श्री ताराचन्द मेहता निवासी कोर्ट रोड शिवपुरी
2. नितिन कुमार सांकला पुत्र श्री सोहनमल सांकला निवासी महल रोड शिवपुरी

---अपीलार्थीगण

बनाम

अरिहन्त कुमार जैन पुत्र श्री अजीत कुमार जैन आयु 17 वर्ष, (माइनर) बसरपररती दादी सुमती पत्नी स्वर्गीय श्री ऋषभ चन्द जैन, निवासी पंजाब नेशनल बैंक के पास शिवपुरी

---प्रत्यर्थी

आज आव दिन ... 27/6/06 प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 (2) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 26.6.2006 बउनमान अरिहन्त कुमार जैन वि0 सूरजप्रकाश एवं अन्य जो कि न्यायालय आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक 282/ 2005-06 निगरानी. म0 में प्रारित के विरुद्ध

Bhardwaj
Y. Sharma

श्रीमान जी,

अपीलार्थी की ओर से अपील सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, कृषि भूमि स्थित ग्राम बरोदी सडक परगना व जिला शिवपुरी में है जिसे सर्वे कमांक 237 मिन 1 रकबा 0.108 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 237 मिन 2 रकबा 1.514 हे0 सर्वे कमांक 238 रकबा 0.010 हे0, सर्वे कमांक 239 रकबा 0कृ10 हे, सर्वे कमांक 245 रकबा 1.359 हे., कुल सर्वे नम्बर 5 कुल रकबा 2.903 हे0 के भूमि स्वामी प्रत्यर्थी कमांक 1 व 2 प्रत्यथी कमांक 2 के पिता श्री सोहनमल सांखला पुत्र मानमल सांखला थे जिसमें सोहनलाल सांखला की मृत्यु हो गयी। प्रत्यर्थी कमांक 2 सोहनलाल जी का पुत्र है।
2. यहकि, भूमि सर्वे कमांक 237 मिन, 238, 239, 245 कुल सर्वे नम्बर 4 जिसका कुल रकबा 13 बीघा 17 विस्वा हे0 2.814 लगान 2.65 पैसे

XXXIX(a)-BR(H)-11

42२५५/ अ२ दिन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A – 1124 – पी / 06 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/10/18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री एन०के० अग्रवाल उप./ प्रत्या. अभि० श्री एस०के०पी० पाठक उप./ प्रकरण में तर्क सुने आदेशार्थ	
2/1/19	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 282/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–6–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार शिवपुरी ने प्र.क्र. 21/05–06 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 27–10–05 से ग्राम बरोदी की आराजी कमांक 237 लगायत 240 पर नामान्तरण के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 38/05–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–4–06 से तहसीलदार शिवपुरी का आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है जो अंतरिम स्वरूप का है जिसके विरूद्व अपर आयुक्त ग्वालियर ने निगरानी कमांक 282/2005–06 ग्राह्य कर सुनवाई करते हुये आदेश	

[कृ. प. उ.

A-1124-II/06

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 26–6–06 पारित किया है, जिसके विरूद्व यह अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है। 3/ निगरानी प्रकरण में अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को पुष्टिकृत किया है। बाबूलाल विरूद्व रामचरण 1987 रा.नि. 389 एंव बंशीधर विरूद्व रामभुवन 1984 रा.नि. 4 में बताया गया है कि प्रतिप्रेषण आदेश अंतरिम प्रकृति का आदेश है जिसके विरूद्व अपील बर्जित है। इसी प्रकार मुंशीसिंह बनाम तुलाराम 1980(2) म0प्र0वीकली नोट 128 एंव पुरूषोत्तम प्रसाद विरूद्व म.प्र.रज्य 1986 रा.नि. 263 उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत हैं कि अंतिम सुनवाई के प्रकम पर अपील को पुनरीक्षण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स के अभिभाषक ने वर्ष 2006 से प्रचलित अपील को पुनरीक्षण मं बदलने की प्रार्थना भी नहीं है । विचाराधीन अपील अग्राह्य होने के कारण सुनवाई योग्य न होने से निरस्त की जाती है। सदस्य सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—184—फॉर्म्स—29-8-16—15,000 प्रपत्र.